न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

पीठासीन अधिकारी:– हेमराज गुर्जर (RAS)

मुकदमा नं0:–17/2019 तारीख रजु 01.02.2019

जीसीएमएस आई0डी0:–2019/00023

1. लक्ष्मीनारायण
2. गोविन्द सिंह
3. करतार सिंह
4. नल सिंह

पिसरान मानसिंह

5. सुशीला बेवा मानसिंह

जातियान जाट निवासी पीपलहेडा तहसील हिण्डौन जिला करौली

– सायलान

बनाम

1. गुड्डी पत्नि विजयसिंह
2. मु ममतेश पुत्री कलुआ
3. निर्भय पुत्र कलुआ
4. विजय सिंह पुत्र कलुआ
5. विमलेश पुत्री कलुआ
6. दरयाव
7. बच्चू सिंह
8. बृजमोहन
9. महाराज सिंह

पिसरान रामजीलाल

10. भागमल पुत्र मूला
11. भगवानसिंह पुत्र राजाराम
12. मन्टूरी पुत्री राजाराम
13. माया पुत्री राजाराम
14. रामपति पत्नी राजाराम
15. विनोद पुत्र राजाराम
16. निरोत्तम पुत्र राजाराम
17. पूरन सिंह
18. करतार सिंह

पिसरान शिवचरण

19. धीरज
20. मु मछला
21. मु ढल्लो

पिसरान शिवचरण

जाति जाट निवासी पीपलहेडा तहसील हिण्डौन जिला करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:58:26 IST
Reason: SelfAttested

22. सब-रजिस्ट्रार, हिण्डौन सिटी।

23. लैण्ड हॉल्डर, तहसीलदारजी जिला-करौली।

---गैरसायलान

प्रार्थना पत्र बावत् अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितिः-1. श्री पी एल गोयल वकील सायलान
2. गैरसायलान विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही

निर्णय दिनांक 27-3-25

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा जरिये वकील वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत पेश किया है कि आराजी खसरा नम्बर साविक 407 रकबा 8 विस्वा, खसरा नम्बर-427 रकबा 16 विस्वा, खसरा नम्बर-428 रकबा 17 विस्वा, खसरा नम्बर-431 रकबा 2 विस्वा, खसरा नम्बर-432 रकबा 6 विस्वा, खसरा नम्बर-436 रकबा 5 विस्वा, खसरा नम्बर-450 रकबा 1 वीघा 3 विस्वा, खसरा नम्बर-455 रकबा 14 विस्वा, खसरा नम्बर-439 रकबा 9 विस्वा, खसरा नम्बर-447 रकबा 19 विस्वा, खसरा नम्बर-449 रकबा 19 विस्वा, खसरा नम्बर-450 रकबा 1 वीघा 3 विस्वा, खसरा नम्बर-441 रकबा 7 विस्वा, खसरा नम्बर-445 रकबा 1 वीघा 5 विस्वा, कुल किता-14, कुल रकबा-8 वीघा 13 विस्वा वाके ग्राम पीपलहेडा, तहसील-हिण्डौन, जिला-करौली स्थित रही है।

आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्बर-2 प्रार्थना-पत्र साबिक में सायलान के बाबा रामखिलाडी पुत्र मोती हिस्सा 1/2 व गैरसायलान संख्या 6 लगायत 9 व 11 ता-16 के पिता रामजीलाल व राजाराम हिस्सा 1/2 की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि रही है, जो कि जमाबंदी संवत 2033 से 2036 से भली-भाति स्पष्ट है। उपरोक्त आराजी में मुसद्दी के द्वारा प्रार्थना-पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर उपरोक्त आराजी में रामजीलाल व राजाराम तथा रामखिलाडी के हिस्से 1/2 में से कम किया जाकर 1/12 हिस्सा जरिये नामान्तकरण नम्बरी 387/1 से मुसद्दी के नाम 1/12 हिस्सा व रामजीलाल, राजाराम पिसरान हीरा हिस्सा 11/24 व रामखिलाडी पुत्र भोती हिस्सा 11/24 दर्ज किया गया। इस प्रकार उक्त इन्द्राज जमाबंदी 2036 से 2039 में स्पष्ट दर्ज है। कस्बा हिण्डौन में संवत-2046-2047 में सेटिलमेन्ट ऑपरेशन के दौरान आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्बर-2 प्रार्थना-पत्र के नये खसरा नम्बरान-631 रकबा 4 ऐयर, खसरा नम्बर-632 रकबा-4 ऐयर, खसरा नम्बर-685

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:58:26 IST
Reason: Self Attested

रकबा 6 ऐयर, खसरा नम्बर–688 रकबा 5 ऐयर, खसरा नम्बर–689 रकबा–6 ऐयर, खसरा नम्बर–712 रकबा 18 ऐयर, खसरा नम्बर–713 रकबा 9 ऐयर, खसरा नम्बर–714 रकबा 6 ऐयर, खसरा नम्बर–715 रकबा–9 ऐयर, खसरा नम्बर–716 रकबा–8 ऐयर, खसरा नम्बर–720 रकबा 19 ऐयर, खसरा नम्बर–721 रकबा 3 ऐयर, खसरा नम्बर–725 रकबा 8 ऐयर, खसरा नम्बर–726 रकबा 10 ऐयर, खसरा नम्बर–729 रकबा 9 ऐयर, खसरा नम्बर–730 रकबा–2 ऐयर, खसरा नम्बर–731 रकबा 3 ऐयर, खसरा नम्बर–732 रकबा 4 ऐयर, खसरा नम्बर–733 रकवा–24 ऐयर, खसरा नम्बर–805 रकबा 6 ऐयर, खसरा नम्बर–808 रकवा–9 ऐयर, खसरा नम्बर–814 रकवा–8 ऐयर, खसरा नम्बर–821 रकबा–13 ऐयर, खसरा नम्बर–823 रकबा 3 ऐयर, खसरा नम्बर–825 रकबा 3 ऐयर, खसरा नम्बर–826 रकबा–5 ऐयर, खसरा नम्बर–723/1401 रकबा–5 ऐयर, खसरा नम्बर–728/1402 रकबा 4 ऐयर, कुल किता–28, कुल रकबा–2 93 हैक्टेयर स्थित ग्राम पीपलहेडा, तहसील हिण्डौन कायम किए, मगर सेटिलमेन्ट कर्मचारीयों ने बिना किसी विधिक अधिकार के व अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर मुसद्दी के हिस्से 1/12 के स्थान पर उसके वारिशान का 1/3 हिस्सा गलत तरीके से दर्ज कर दिया तथा गैरसायलान नम्बर 6 लगायत 9 की खातेदारी में व गैरसायलान नम्बर–11 ता–16 के पिता राजाराम की खातेदारी में हिस्सा 11/24 के स्थान पर 1/3 हिस्सा दर्ज कर दिया और सायलान के बाबा रामखिलाडी पुत्र मोती का खातेदारी से नाम हजफ कर दिया जिसका कि उन्हें कोई विधिक अधिकार किसी भी प्रकार का प्राप्त नहीं था। इस प्रकार सायलान का प्रथम दृष्ट्या केस बखूबी साबित है।

सेटिलमेन्ट कर्मचारीयों को उपरोक्त कार्यवाही करने का कोई विधिक अधिकार नहीं था, कानूनन सेटिलमेन्ट वालों को केवल मात्र पुरानी ऐन्ट्रीयों को रिपीट करना था, उन्हें राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव करने का कानूनन कोई अधिकार हांसिल नहीं था। इस सेटिलमेन्ट कर्मचारीयों व अधिकारीयों द्वारा की गयी कार्यवाही पूर्णतः बखिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है। सेटिलमेन्ट कर्मचारीयों ने बिना किसी सक्षम अदालत के आदेश के सायलान के बाबा रामखिलाडी की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड से हजफ करके उसका हिस्सा गैरसायलान नम्बर–2 ता–6 व गैरसायलान नम्बर–17 ता–21 व गैरसायलान नम्बर–6 ता–० एवं गैरसायलान नम्बर–11 ता–16 की खातेदारी में [illegible] दिया और उसका हिस्सा लत तरीके से 1/12 व 11/24 के स्थान पर 1/3 व 1/3 कर दिया, जिसमें से सायलान अपना

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:58:26 IST
Reason: SelfAttested

हिस्सा 11/24 प्राप्त करने के कानूनन अधिकारी है और उक्त आशय की घोषणा करापाने के अधिकारी है।

सायलान आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्बर–2 व 5 प्रार्थना–पत्र में 11/24 हिस्से पर निरन्तर बजमाने बुजुर्गान रामखिलाडी के समय से काबिज व दखील होकर अपने पिता मानसिंह के साथ काश्त करते चले आ रहे है। रामखिलाडी व मानसिंह की मृत्यु हो जाने पर वादीगण ही उनके एक मात्र कानूनी वारिस है और अपने हिस्से पर काबिज व दखील चले आ रहे है। वर्तमान में सायलान ने अपने हिस्से में गेहूँ व सरसों की फसल काश्त की है, जो मौके पर सरसब्ज है। सायल नम्बर–2 गोविन्द द्वारा उपरोक्त आराजीयात में अपने हिस्से की भूमि पर के.सी.सी. ऋण लेने हेतू माह जून–2018 में अपने खाते की नकल ली तो सायलान का खातेदारी में नाम नहीं देखकर हक्का बक्का रह गया। इस सम्बन्ध में कानूनी सलाहकारों से सलाह लेने पर व पुरानी जमाबन्दी की नकल लेने पर उसे उक्त स्थिती की जानकारी होई। जिसके कारण प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा दायर करना आवश्यक हुआ। सायलान द्वारा गैरसायलान से दिनांक–09.11.2018 को तहसील के खुलने पर सायलान के हिस्से के खातेदारी कराने के लिए गैरसायलान नम्बर–1 तो 21 से कहा तो उन्होंने इंकार कर दिया और सायलान को उसके हिस्से की भूमि से जबरन बेदखल कर भूमि को दीगर लोगों को विक्रय कर उनका कब्जा कराने की धमकी देने से बमुकाम पीपलहेडा, तहसील–हिण्डौन अन्दर हदूद आरजी अदालत वाला उत्पन्न हुई है।

घटना दिनांक–09.11.2018 को गैरसायलान नम्बर–1 ता–21 द्वारा वादीगण को उनके हिस्से की खातेदारी की भूमि तहसील हिण्डौन में चलकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने से इंकार करने का भूमि को दीगर लोगों को विक्रय कर उसका वयनामा पंजीकृत कराकर भूमि पर कब्जा कराने व सायलान को जबरन उनके हिस्से की भूमि से बेदखल करने की धमकी देने से प्रार्थना–पत्र हाजा दायर करने आवश्यक हुआ है।

अतः प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायलान को दौराने वाद इस अम्र की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वह स्वयं या किसी अन्य के द्वारा आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्बर–2 व 5 प्रार्थना–पत्र में सायलान के 11/24 हिस्से में कोई मजाहमत मदाखलत ना तो स्वयं करें, नाही किसी अन्य के द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:38:26 IST
Reason: SelfAttested

करावें। सायलान को उसके हिस्से की भूमि से जबरन बेदखल नहीं करे। उक्त भूमि को विक्रय नहीं करें, नाही उसका वयनामा सब–रजिस्ट्रार कार्यालय में किसी दीगर व्यक्ति हक में पंजीकृत करावें और ऐसा कोई कार्य नहीं करें जिससे सायलान के हिस्से व कब्जे की भूमि के उपयोगया व उपभोग में कोई व्यवधान किसी प्रकार का पैदा हो। मौके व रिकॉड की स्थिती यथावत बनाऐ रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तबल किया गया। गैरसायलान 1 ता 23 की बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं। आदेशिका दिनांक 30.09.2021 से इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत 2032–35, जमाबंदी संवत 2036–39, फोटो मिलान क्षेत्रफल 3 किता, फोटो प्रति जमाबंदी आधार वर्ष, फोटो प्रति जमाबंदी सवत 2051–54, फोटो प्रति जमाबंदी संवत 2071–74 वाके ग्राम पीपलहेडा तहसील हिण्डौन पेश किये है।

सायलान वकील उपस्थित। सायलन वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील सायलान ने दौराने बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया और कहा गया कि दौराने दावा गैरसायलान को दौराने वाद इस अम्र की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वह स्वयं या किसी अन्य के द्वारा आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्बर–5 प्रार्थना–पत्र में सायलान के 11/24 हिस्से में कोई मजाहमत मदाखलत ना तो स्वयं करें, नाही किसी अन्य के द्वारा करावें। सायलान को उसके हिस्से की भूमि से जबरन बेदखल नहीं करे। उक्त भूमि को विक्रय नहीं करें, नाही उसका वयनामा सब–रजिस्ट्रार कार्यालय में किसी दीगर व्यक्ति हक में पंजीकृत कराने और ऐसा कोई कार्य नहीं करें जिससे सायलान के हिस्से व कब्जे की भूमि के उपयोगया व उपभोग में कोई व्यवधान किसी प्रकार का पैदा हो। मौके व रिकॉर्ड की स्थिती यथावत बनाऐ रखने के लिये निवेदन किया।

प्रकरण में एकपक्षीय वकील की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबन्दी संवत 2032–35, जमाबंदी संवत 2036–39, फोटो मिलान क्षेत्रफल 3 किता, फोटो प्रति जमाबंदी आधार वर्ष, फोटो प्रति जमाबंदी सवत 2051–54, फोटो प्रति जमाबंदी संवत 2071–74 वाके ग्राम पीपलहेडा तहसील हिण्डौन है। सायलान व गैरसायलान खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है इसलिये सायलान की दौराने दावा पेचिदगियॉ पैदा नहीं हों, मौके एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:58:26 IST
Reason: SelfAttested

रिकॉर्ड की स्थिति में परिवर्तन एवं अनावश्यक वादकरण बढने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए एवं सायलान के पक्ष में सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति होना साबित होता है अतः सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र सायलान खिलाफ गैरसायलान बाबत राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत प्रकरण में दिनांक 28.06.2021 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल दावे के ताफैसला होने तक स्वीकार किया जाता है कि गैरसायलान विवादित आराजीयात जमाबंदी 2071–74 खाता संख्या 210 वाके ग्राम पीपलहेडा तहसील हिण्डौन के सायलान के 11/24 हिस्से तक रिकॉर्ड की यथास्थिति ताफैसला बनाये रखे।

आदेश आज दिनांक 27/3/25 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:58:26 IST
Reason: SelfAttested